

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय

बड़ीदा हाउस

नई दिल्ली

दिनांक: 01/05/2024

पत्र सं. 403-टी/190/5/एस आर/परि./21

मण्डल रेल प्रबन्धक,

उत्तर रेलवे,

दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।

विषय: सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं. 208 दिनांक 30.04.2024 (English version)

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं. 208 दिनांक 30.04.2024 (अंग्रेजी) की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(शुभम कुमार) 1/5/24

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक/ यातायात संरक्षा

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr.CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्ययांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चनस्टाक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उत्तर रेलवे,, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, अम्बाला एवं लखनऊ।
9. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता / समन्वय, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर रेलवे, चन्दासी।
15. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र, कालका, शाहजहाँपुर एवं मुरादाबाद।
16. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोधन पत्र सं. 208 दिनांक 30.04.2024 (English Version) को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
17. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCR सूबेदार गंज प्रयागराज, पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबनपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECR हाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
18. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM, मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक, CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यानी यातायात प्रबंधक।

Northern Railway

Headquarters Office
Baroda House
New Delhi


AMENDMENT SLIP TO GENERAL & SUBSIDIARY RULES

Sub: Amendment Slip No. 208 dated 30.04.2024 to G&SR Rule Book 1983 of Northern Railway.

Delete the existing SR 5.23/2(a) (iii) and substitute as the following:

SR 5.23/2(a) (iii): Hand brakes of at least 6 wagons from either end must be fully tightened by ALP in the front and by the Train Manager in the rear of the train and in absence of Train Manager, by the Pointsman. The hand brakes must be operated under the personal supervision of the Train Manager, and in the absence of Train Manager, under supervision of on duty SM. In case coaching vehicles are stabled, Train Manager's hand brakes in SLR(s) must be applied.

SR 5.23/3(a)(iii): Application of hand brakes of at least 6 wagons at either end in the front of the train by ALP and for rear portion as stated in SR 5.23/2(a)(iii).


30/4/2024

(U.C. Joshi)
Pr. Chief Operations Manager